



प्रेस नोट

जनपद सीतापुर

24 ग्राम अवैध स्मैक के साथ शातिर अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक:29.01.23

पुलिस अधीक्षक सीतापुर श्री घुले सुशील चंद्रभान द्वारा जनपद सीतापुर में अपराध नियंत्रण एवम् अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस को सघन चेकिंग के लिये निर्देशित किया गया है।

उक्त निर्देश के क्रम में क्षेत्राधिकारी नगर के निकट पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान अभियुक्त रोहित उर्फ राहुल उर्फ मारुति पुत्र रामू निवासी मो० मछली मण्डी थाना कोतवाली नगर सीतापुर के साथ गिरफ्तार किया गया। उल्लेखनीय है कि अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में विभिन्न आपराधिक कृत्यों में कई अभियोग पंजीकृत है। बरामदगी के संबंध में एन०डी०पी०एस० एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त उपरोक्त का चालान मा० न्यायालय किया गया।

नाम/पता अभियुक्त:-रोहित उर्फ राहुल उर्फ मारुति पुत्र रामू निवासी मो० मछली मण्डी थाना कोतवाली नगर सीतापुर

बरामदगी:-24 ग्राम अवैध स्मैक

पंजीकृत अभियोग:-मु०अ०सं० 54/23 धारा 8/21 NDPS ACT थाना कोतवाली नगर सीतापुर

आपराधिक इतिहास -

- 1-मु०अ०सं०- 1084/17 धारा 401,307 आईपीसी कोतवाली नगर
- 2-मु०अ०सं०-473/18 धारा 4/25 A ACT कोतवाली नगर
- 3-मु०अ०सं०- 1259/17 धारा 379,411 आईपीसी कोतवाली नगर
- 4-मु०अ०सं०-419/19 धारा 223,224 आईपीसी कोतवाली नगर
- 5-मु०अ०सं०- 217/18 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट कोतवाली नगर

पुलिस टीम -उ०नि० जितेन्द्र बहादुर सिंह मय का० अजय वर्मा , का० सुरेन्द्र वर्मा

